भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

कोषागार-मीरजापुर

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244720

Ajay Kumar Bharti Adv
Marihan Mirzapur

[1]

ट्रस्ट डीड
शान्ती सिंह शिक्षा ट्रस्ट
न्यास विलेख (Instrument of trust)

स्टाम्प शुल्क – 1010.00

यह न्यास विलेख दिनांक 10.08..2020 को श्री चन्द्रकान्त सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम काशोपुर पोस्ट नौडिहा लालपुर तहसील मडिहान जनपद मीरजापुर के जिन्हे कि आगे संस्थापक/प्रबन्धक (व्यवस्थापक)/प्रधान ट्रस्टी/अध्यक्ष/न्यासकर्ता कहा जायेगा। एवं श्रीमती दीपलता सिंह पत्नी बालेश्वर सिंह निवासी ग्राम पचोखरा पोस्ट नौडिहा लालपुर तहसील मडिहान जनपद मीरजापुर व ज्योति पुत्री अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम काशोपुर पोस्ट नौडिहा लालपुर तहसील मडिहान जनपद मीरजापुर जिन्हे कि आगे कोट्रस्टी/सह संस्थापक/सहन्यासी/ सह व्यवस्थापक कहा जायेगा द्वारा घोषित किया गया है।

यह कि हमारे मन में बहुत दिनों से यह भावना उठ रही है कि अपनी बड़ी माता स्व0 श्रीमती शान्ती सिंह के इच्छानुसार ऐसे ट्रस्ट की स्थापना करे जो कि समाज उत्थान विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा एवं सेवा के क्षेत्र में कार्य करें । अतः इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है, जिसे शान्ती सिंह शिक्षा ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा । जिसका वर्तमान मुख्यालय ग्राम अटारी पोस्ट नौडिहा लालपुर तहसील मडिहान जनपद मीरजापुर है ।

वर्तमान में प्रधान ट्रस्टी के पास 11000 (ग्यारह हजार) धनराशि उपलब्ध है जिसे मैं न्यास को अर्पित करता हूं जिसे न्यास धनराशि कहा जायेगा ।

जैसा कि उपरिनामित न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा। जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष/प्रधान ट्रस्टी कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता उपरोक्त की यह भी इच्छा की वह विभिन्न श्रोतो से जिसमें दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा

सह ट्रस्टी Deeplata — सह ट्रस्टी Jyoti — प्रधान ट्रस्टी Chandra Kant Singh

2151

[illegible]

नं० 12

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244721

ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं संसाधनो को और बढ़ावे ताकि ट्रस्ट अपने उद्देशो में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

जैसा कि उपरिनामित ट्रस्ट का न्यासकर्ता/प्रधान ट्रस्टी/संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

शान्ती सिंह शिक्षा ट्रस्ट

(इण्डिय ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य :– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यो की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जू0हा0स्कूल, इण्टरमिडिएट कालेज, महाविद्यालयो, पुस्तकालयो, वाचनालयो, प्रयोगशालाओ, चिक्त्सिालयो, ट्रेनिंग सेन्टर प्रशिक्षण केन्दो, अनाथालयों, वृद्धाश्रमो, अनुसंधान केन्द्रो छात्रावासो, कम्प्यूटर केन्द्रो, निराश्रितो, सर्वेक्षण केन्द्रो, सामुदायिक विकास केन्दो, पर्यावरण एड्स निवारण केन्दो की संस्थापना करना नामकरण विकास सबद्ध, आबद्ध, प्रबन्धन, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न परिषदो विभागो, संस्थाओ स्थानो, शासन आदि से उन्हे मान्य सबद्ध, आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत कर सकना।
2. आई0आई0टी0, पालटेक्निक, आई0टी0आई0 फार्मेसी, नर्स, ट्रेनिंग अन्य प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेन्टर, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथीरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजिनियरिंग कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना।
3. समाज के लोगो के लिए हास्पिटल नर्सिंग हौम, स्वास्थ्य केन्द, मेडिकल स्टोर, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
4. ग्राम विकास अभिकरण सम्बन्धी योजनाओ का कियान्वयन करना एवं संचालित करना व करवाना।

Chandra Kant Singh.

Deep Lata

Jyoti

2152

7-8-2

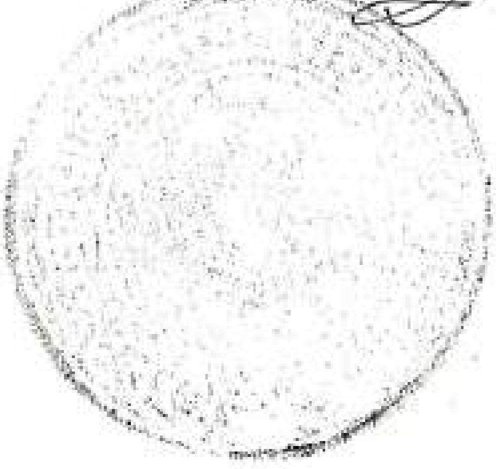

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 244722

5. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव को रोककर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।
6. उद्यानिकरण व जंगलात् विकास करना।
7. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यकम संचालित करना।
8. लोकहित मे वैज्ञानिक शैक्षिक संस्थाओ का निर्माण एवं पाखण्ड अन्ध विश्वास व कुरितियों को दूर करने का समुचित प्रयास तथा उच, नीच जाति भेद को समाप्त कर मानव समानता संस्थापित करने का प्रयास करें।
9. प्रतियोगात्मक परीक्षाओ की तैयारी हेतु संस्थाओ की स्थापना करना।
10. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयो की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
11. केन्द्र सरकार के सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज, कल्याण, नावार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण नेहरू युवा केन्द्र खेल कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यकम का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना।
12. पुस्तकालयों, वाचनालयों पत्र–पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अंधे गूंगे बहरे, असहाय लोगो के लिए शिक्षा चिकित्सा आवास भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना तथा मूकबधिर विद्यालय की स्थापना करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यकमों तथा व्यवहारिक प्रयोगिक कलां, वाणिज्य कीडा मार्शल, आर्ट संगीत तकनीकी सामाजिक आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

Chandra Kant Shi

Deeplata   ज्योति

2153

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244723

[4]

15. विविध प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तक साहित्य पत्रों पाठ्यक्रम आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।
17. सास्कृति कार्यक्रम :– पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स अधिवेशन गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन, कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
18. महिलाओं के लिए अन्य विषयों के साथ–साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्कीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा एंव व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष व अन्य सोसाईटी ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनका इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु अन्तराष्ट्रीय संगठन, संस्थाओं व व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं प्रचार प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना एवं सेमीनार करना।
25. एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना।
26. पुस्तक पुस्तिकाये, पत्र पत्रिकाये, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित तथा प्राप्त करना।

Deep Lata   ज्योति   Chandra Kant Singh

2154

[illegible]

लाइसेंस नं० 13

लाइसेंस की अवधि..............

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244724

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओ के लिए समुचित शुल्क मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यन अध्यापन को प्रोत्साहित करना तथा ततविधित आवश्यक व्यवस्थाये करना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार एवं उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयो पर चेतना पैदा करने हेतु कार्य करना।
30. धार्मिक स्थलो का निर्माण व जिर्णोद्वार करना जैसे कुऑं, तालाब, मन्दिर, धर्मशाला आदि का संचालन करना।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का अयोजन करना तथा कियान्वयन करना।
32. विभिन्न आयोजनो एवं कारणो हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।
33. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यो में प्रयोग करना।
34. ट्रस्ट जन समान्य के निमित्त कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाये/वस्तुए लागत मूल्य पर देने का प्रयास करेगां। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबो का निर्माण कराना एवं पशुपालन एवं विशेषकर पालतू जानवरो के हित में कार्य करना।
35. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ पाने के लिए कार्य नही करेगा। ट्रस्ट जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
36. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

Chandra Kant Singh

Jyoti

Deeplata

2155

[illegible] सं० 12

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244725

37. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजो की जानकारी देना, फल एवं औषधि, खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादित किये गये माल का आयात निर्यात करना।
38. संगठन को मजबूत एवं कियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियो का चयन करना एवं अधिकार देना।
39. दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यको का संगठन बनाकर समाज में फैली हुई बुराइयो को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर और आर्थिक स्तर को मजबूत करना।
40. जन कल्याण हेतु धरना प्रदर्शन, कार्यकम, गोष्ठी, सम्मेलन, महोत्सव, सेमीनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन, प्रशासन तक पहुचाना।
41. ऐसी सोसाईटी/संस्था का जो स्वेच्छानुसार ट्रस्ट की देख–रेख, नियंत्रण मे संचालित होना चाहे, संचाचलन करना।
42. सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयो/संस्थाओ में वाहन/वाहन चालक/ तकनिकी सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर सूरक्षा गार्ड/लेबर स्तरीय कार्य ट्रस्ट के द्वारा/संस्था के द्वारा करना/कराया जाना।
43. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा।

नियमावली :–

1. प्रारम्भिक उपबन्ध –
1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से चन्द्रकान्त सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचइता भी है, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रधान ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने जीवन काल तक सह ट्रस्टी अथवा अपने उत्तराधिकारियो को स्थान्तरित कर सकता है जो उसके मृत्यु के उपरान्त भी नियमित रहेगा।

Deeplata   Jyoti   Chandra Kant Singh

2156

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244726

[7].

3. प्रधान ट्रस्टी के मृत्योपरान्त पत्नी/पुत्र या पिता प्रधान ट्रस्टी होगें। इसी क्रम में आगे पिढ़ी दर पिढ़ी ट्रस्ट के प्रधान व सहट्रस्टी का क्रम चलता रहेगा। लड़के की अनुपस्थिति में बड़ी लड़की अथवा विधवा पत्नी उनकी जगह लेगी।
4. प्रधान ट्रस्टी के अनुमोदन पर सहट्रस्टी ट्रस्ट सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग लोकहित में करेगें।
5. सह ट्रस्टी ट्रस्ट के उत्थान एवं विकास के लिए ऋण, दान, उपहार आदि प्राप्त करने में सम्भव कार्य करने तथा ट्रस्ट के उत्थान एवं विकास हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा।
6. इस डीड के अन्दर सभी पदो के नियुक्त हेतु प्रधान ट्रस्टी की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

न्यास मण्डल

क्रमांक	सदस्यों के नाम व पिता का नाम	पदनाम
1	चन्द्रकान्त सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह	मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक
2	दीपलता सिंह पत्नी बालेश्वर सिंह	सचिव/सह ट्रस्टी
3	ज्योति पुत्री अशोक कुमार सिंह	उप सचिव /सह ट्रस्टी

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर उत्तराधिकारी/हस्तानान्तरण :–

1. यह कि प्रधान ट्रस्टी को बिना सहट्रस्टी के लिखित सहमति के ट्रस्ट के किसी सम्पत्ति का हस्तानान्तरण, रेहन या दान या वसीयत या अन्य किसी प्रकार मुन्तफिल करने का उससे अधिभारी करने का अधिकार नही होगा। यदि ऐसा करेगा तो कार्य शुन्य एवं निष्प्रभावी होगा।
2. यह कि प्रधान ट्रस्टी सह ट्रस्टी के बगैर लिखित अनुमति या सहमति के कोई ऐसा कार्य नही करेगा। जिससे ट्रस्ट का हित प्रभावी हो।

Chandra Kant Singh

Deeplata Jyoti

2157

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244727

3. यह कि प्रधान ट्रस्टी के जिवित न रहने पर प्रधान ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र या के पिता प्रधान ट्रस्टी होगें । यह कि सह ट्रस्टी के जीवित न रहने पर प्रधान ट्रस्टी व अन्य ट्रस्टी के अध्यक्षता में सह ट्रस्टी के पद का निर्णय लिया जायेगा । जिसमें प्रधान ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।
4. किसी व्यक्ति की मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही सभी अधिकार प्राप्त हो जाएगें जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदान किये गये है।
5. ट्रस्ट के न्यास में डाइरेक्टर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी ट्रस्ट हित में कार्य करते रहेगें और सह ट्रस्टी की तरह ट्रस्ट के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगें। इनके आफिस व मानदेय भत्ते की पूर्ति ट्रस्ट करती रहेगी।

3—<u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज</u> :—

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें सदस्यो की अधिकतम संख्या पॉच (5) होगी।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करेगी। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी व्यक्ति के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अविलम्ब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मिटिंग बुलाकर ट्रस्टी के पद से हटा सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार बुलायी जायेगी।
4. यह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्ही विषयो पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिसको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Chandra Kant Singh

Tyagi

Deepika

2158

[illegible]

7-8-20

[illegible] 12

[illegible]

[illegible] आदि [illegible] ग्रा [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244728

5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करेगा। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा।

4–मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं सह ट्रस्टी/सह मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधाए :–

1. यह कि अध्यक्ष /ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओ से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी आवश्यकतानुसार सह ट्रस्टी के लिये कार्यालय एवं वाहन हेतु अलग से व्यवस्था करायी जायेगी। इन सुविधाओं को सुनिश्चि करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सह ट्रस्टी का संयुक्त स्वरूप से निर्णय मान्य होगी।
2. यह कि प्रधान ट्रस्टी/अध्यक्ष को अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से माषिक मानदेय भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।
3. यह कि सह ट्रस्टी/सह मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि लेने पर यदि कोई आयकर लगता है तो सह ट्रस्टी स्वयं वहन करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।
4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को मानदेय/भत्ते लेने पर आयकर लगता है तो स्वयं सदस्य ही वहन करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

5–कार्यक्षेत्र :– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा राय दे सकता है।

Chandra Kant Singh

Jyoti

Deeplata

2159

[illegible]

नं. 12

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244729

6–*<u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तब्य</u>* :– यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तब्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तब्य होगें।

क– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना :–

ख– ट्रस्ट के समस्त कार्यो की समुचित ढंग से देख–रेख करने हेतु उपाध्यक्ष/सचिव/उप सचिव की नियुक्ति करना :–

ग– इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकता जो कि रजिस्ट्रार के यहा रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

घ– यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानो की देख–भाल एवं उत्थान के लिए भविष्य में स्थापित मैनेजिंग समितियो का विहित समय के लिए नियुक्त करने के लिए अधिकृत होगी। ट्रस्ट द्वारा नियुक्ति कि गयी समस्त स्थानिय मैनेजिंग समितियो पर पूर्ण नियंत्रण एवं संचालन प्रधान ट्रस्टी/अध्यक्ष वसह ट्रस्टी के संयुक्त होगा।

ङ– यह कि किसी स्थानीय मैनेजिंग समिति द्वारा ट्रस्ट के उद्देस्यो एवं नियमावली के विपरित कृत्य किये जावे है तो मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अविलम्ब मिटिंग बुलाकर ट्रस्ट के हित में तत्काल स्थानीय मैनेजिंग समिति को भंग कर सकता है, तथा स्थानीय समिति के गठन तक समस्त कार्य, भंग स्थानीय समिति का मैनेजिंग ट्रस्ट/सह ट्रस्टी स्वयं सम्पादित करेगा।

7– *<u>सह ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तब्य</u>* :–

1. यह कि सह ट्रस्टी अध्यक्ष के प्रत्येक प्रशासनिक कार्यो में सहयोग करेगा।
2. यह कि अध्यक्ष के आवश्यक कार्यवस कार्यालय से बाहर चले जाने पर उसके वापस आने तक अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उसके समस्त प्रशासनिक कार्यो को सम्पादित करेगा।

Chandra Kant Singh

Jyoti

Deepluta

2160

[illegible]

[illegible] 7-8-20 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   CE 244730

3. सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सभी बैठको में बुलाया जायेगा और उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो पर बोर्ड उचित निर्णय लेगा और नियुक्त कर्मचारियो/पदाधिकारियो पर नियंत्रण रखेगा। बोर्ड के हित में कार्य करते रहेगा।

8–*सचिव की नियुक्ति* :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देख–भाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा एक से अधिक उप सचिव की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव उप सचिव के वेतन, भत्ते, सुबिधाये कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह/प्रसाद प्रयत्न तक कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत ब्यक्तियो के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत ब्यक्ति को उसके पद से हटा सकता है। तथा इन पदो पर नियुक्तिया कर सकता है अथवा पक्षो के अधिकार को किसी अन्य ब्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9– *उपाध्यक्ष की नियुक्ति* :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन कार्यो को करने एवं देख–भाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम् दो उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुबिधाये कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह/प्रसाद पर्यन्त तक करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी समय बिना किसी को कारण बताये उक्त

Chandra Kant Singh

Jyoti

Deeplata

2161

[illegible]

[illegible] सं० 13

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 244731

पदो पर कार्यरत ब्यक्तियो के विरूद्ध प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत ब्यक्ति को उसके पद से हटा सकता है। तथा पदो पर नियुक्तिया कर सकता है। अथवा उक्त पदो के कर्तब्य एवं अधिकार किसी अन्य ब्यक्ति को हस्तानान्तरित कर सकता है।

10– *उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तब्य* :–

अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बाताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना किन्तु उपाध्यक्ष अपने विवेक से कोई निर्णय नही ले सकेगा।

11– *सचिव के अधिकार एवं कर्तब्य* :–

अध्यक्ष के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी होगा। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तब्य एवं अधिकार है :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कियाकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियो पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालन कार्यो हेतु पदाधिकारियो की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न किया कलापो उद्देश्यो को पूर्ण करने हेतु कोष्ठो/विभागो/केन्द्रो/संस्थानो/उप संस्थानो का गठन करना तथा उनके संयोजको/निदेशको/पदाधिकारियो आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उप नियम बना सकना।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच एवं निर्णयक नियुक्त करना।

Chandra Kant Singh

Jyoti

Deeplata

2162

[illegible]
क्रेता का नाम [illegible]
[illegible]
लाइसेंस नं० 12
[illegible] की तारीख.........
[illegible]

[illegible]

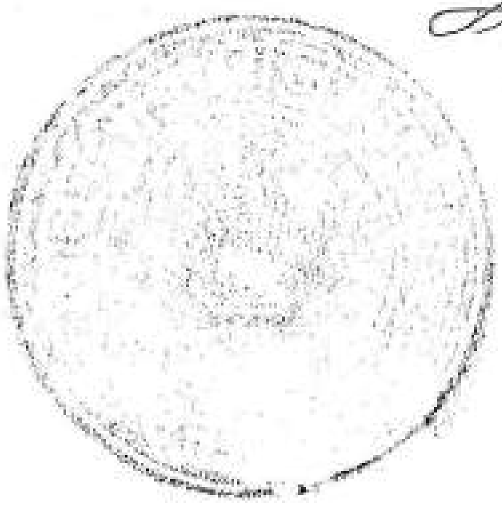

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244732

6. एक से अधिक कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

12– उप सचिव के अधिकार एवं कर्तब्य :–

1. सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद अधिकार एवं कर्तब्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से अधिकृत करने पर उन अधिकारो/कर्तब्यो का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हो।
3. सचिव द्वारा उस लिखित रूप से कार्यभार/कर्तब्यो का पालन करना।

13–ट्रस्ट के विशेषाधिकार :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर उसे निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के किया कलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशानिर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षो को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।
2. आवश्यकतानुसार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं सहट्रस्टी संयुक्त रूप से ट्रस्ट के नियमों एवं उप नियमो में परिवर्तन/संशोधन कर सकते है। विवाद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा व उसका पंजीयन मैनेजिंग ट्रस्टी रजिस्ट्रार के समक्ष संशोधन/परिवर्तन कर रजिस्ट्रीकरण पंजियन करायेगा।

14–ट्रस्ट सम्पत्ति के खाते का संचालन :–

Chandra Kant Singh

Jyoti

DeepLata

2163

[illegible]

[illegible] का नाम व पूरा पता [illegible]

[illegible] 7-9-20

[illegible]

[illegible] नं० 12

[illegible]

[illegible]

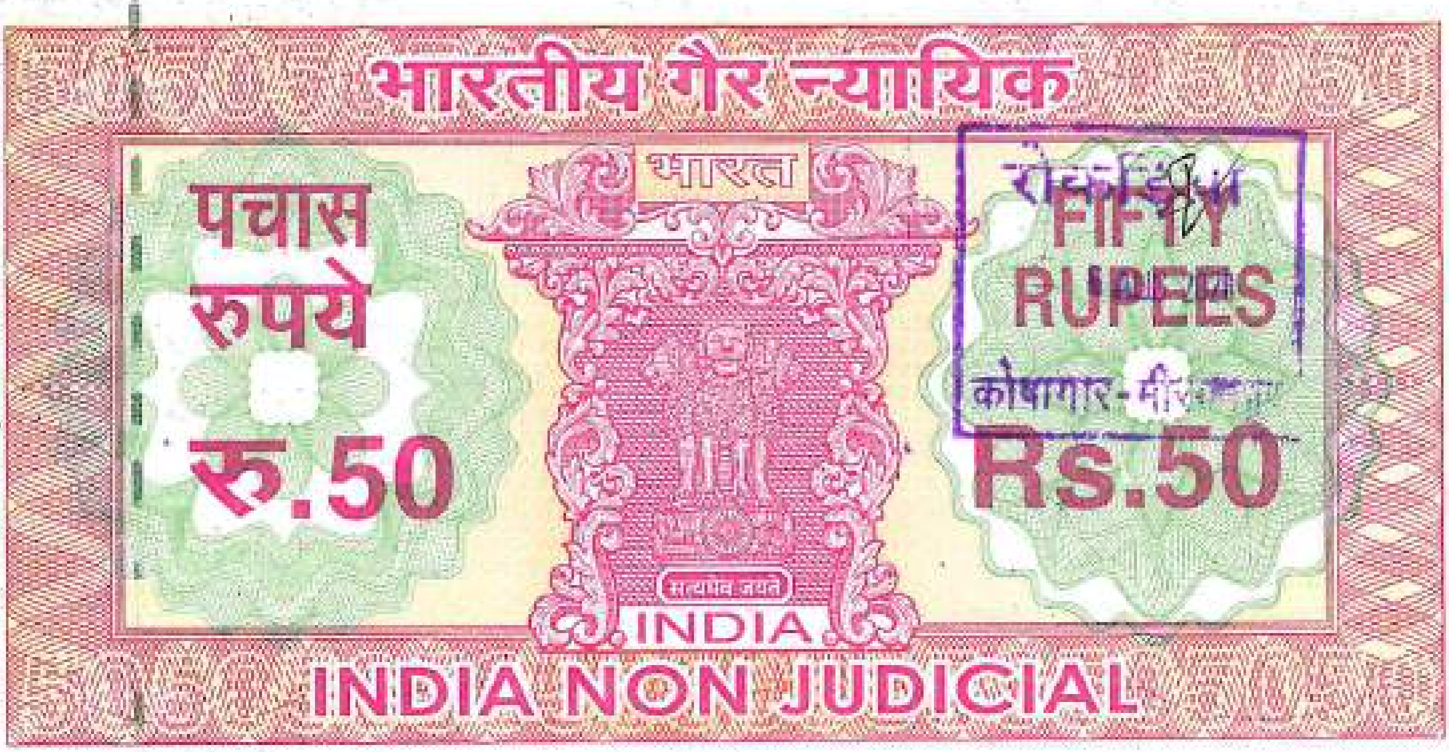

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244733

1. ट्रस्ट का खाता शान्ती सिंह शिक्षा ट्रस्ट के नाम से राष्ट्रीय कृत किसी भी बैंक में खोला जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं खाते का संचालन करेगा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यलय/संस्थान/केन्द्र/कार्यकम इकाई कार्यलय का पृथक नाम से किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है।

15–विधिक कार्यवाही :–

1. प्रधान ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि ट्रस्ट सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले मामलो के विरूद्ध सिविल वाद/अपराधिक वाद/राजस्व वाद/आयकरवाद अथवा अन्य सम्बन्धित विवाद ट्रस्ट उपरोक्त के नाम से समक्ष न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से वाद योजित करे तथा उसकी प्रतिरक्षा करे। ट्रस्ट का सचिव अध्यक्ष की अनुमति से विधिक कार्यवाही में अधिवक्ता को नियुक्त विभिन्न न्यायालयो में पैरवी स्वयं कर सकता है। सचिव के अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के किसी सदस्य को आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही हेतु पैरवी एवं संचालन के लिए नियुक्त कर सकता है।

16– ट्रस्ट की सम्पत्ति :–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

Chandra kant Singh

Jyoti

Deeplata

2164

[illegible]

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244734

2. ट्रस्ट की ओर स`चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी ब्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर स`चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थन एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय कर सकता है रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण दान, उपहार, आग्रह, भेट, सम्मान, पुरस्कार समृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है। और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. अध्यक्ष चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा, क्रय अनुज्ञपित बंधक भारित गिरवी विभाजित आदि कर कसता है/ले सकता है, दे सकता है।
8. ट्रस्ट की समस्त चल/अचल सम्पत्ति के समान सहभागी प्रधान ट्रस्टी एवं सह ट्रस्टी उक्त होगें।
9. ट्रस्ट सम्पत्ति का लेखा-जोखा अध्यक्ष/सचिव किसी मान्यता प्राप्त ऑडीटर से प्रत्येक वर्ष करायेगा।
10. ट्रस्ट हेतु सम्पत्ति प्रधान ट्रस्टी या सह ट्रस्टी किसी के नाम से सम्पूर्ण भारत में क्रय की जा सकती है तथा ट्रस्ट के हित के लिए ट्रस्ट सम्पत्ति का विक्रय प्रधान ट्रस्टी व सह ट्रस्टी के सहमति/संस्तुति के उपरान्त ही की जायेगी।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

Chandra Kant Singh

Jyoti

Deeplata

2165—

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 244735

17–विशेष विवरण :–

क– इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यकम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपकम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उप नियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट शान्ती सिंह शिक्षा ट्रस्ट के उद्‌देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उप नियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

ख– अध्यक्ष/सह अध्यक्ष/सदस्य ट्रस्ट यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधानो को सिथिल कर सकती है। तथा प्राविधान/प्राविधानो के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष/प्रधान ट्रस्टी का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है। शान्ती सिंह शिक्षा ट्रस्ट के उद्‌देश्य एवं नियमावली एतत् द्वारा अधिनियम घोषित स्वीकृत आत्म समर्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित कि जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

दिनांक : 18-8-20

मसविदाकर्ता :– अजय भारती एड0 (मो0नं0:9129025751)

टाइप किया – माया प्रसाद सिंह तहसील मड़िहान, जनपद मीरजापुर ला0नं0 73 मो0नं0 9451937890।

Chandra Kant Singh

Jyoti

Deeplata

2166

[illegible] सं० 12

[illegible]

7-8-20 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244736

[17]

संस्थापक प्रधान ट्रस्टी / अध्यक्ष
चन्द्रकान्त सिंह
श्री अशोक कुमार सिंह
आ०नं० 5824 8349 5845
मो०नं० 9415376125

भारत सरकार
Government of India
चन्द्र कान्त सिंह
Chandra Kant Singh
जन्म तिथि/ DOB: 09/06/1991
पुरुष / MALE
5824 8349 5845
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India
पता:
आत्मज: अशोक कुमार सिंह, काशीपुर पोस्ट लालपुर नौडीहा, मरिहन, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश - 231310
Address:
S/O: Ashok Kumar Singh, Kashopur Post Lalpur Naudiha, Marihan, Mirzapur, Uttar Pradesh - 231310
5824 8349 5845

Chandra Kant Singh

Jyoti

Deepika

2167

[illegible]

लाइसेंस नं० 13

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

कोषागार-मीरजापुर

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244737

[18]

Aja ... Adv
Marihan Mirzapur

सह ट्रस्टी
1 दीपलता सिंह
पत्नी बालेश्वर सिंह
आधार नं0 2264 2965 9974
मो0नं0 : 6393206865

भारत सरकार
Government of India

दीपलता सिंह
Deeplata Singh
जन्म तिथि / DOB : 07/07/1989
महिला / Female

2264 2965 9974

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
W/O बालेश्वर सिंह, ग्राम- पचोखरा, पोस्ट- लालपुर नौडीहा, तहसील- मड़िहान, पचोखरा, मिर्ज़ापुर, लालपुर नौडीहा, उत्तर प्रदेश, 231001

Address:
W/O Baleshwar Singh, Gram- Pachokhara, Post- Lalpur Naudiha, Tahsil- Marihan, Pachokhara, Mirzapur, Lalpur Naudiha, Uttar Pradesh, 231001

2264 2965 9974

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

Deeplata

Jyoti

Chandra Kant Singh

2168

लाइसेंस क्र. 13

लाइसेंस की अवधि........

7-8-20

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244738

[19]

Ajay ... rti Adv
Marihan Mirzapur

2 ज्योति
पुत्री अशोक कुमार सिंह
आधार नं0 4186 3580 1108
मो0नं0 6393352832

भारत सरकार
Government of India
ज्योति
Jyoti
जन्म तिथि / DOB : 08/06/1993
महिला / Female
4186 3580 1108
आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India
पता:
आत्मजा: अशोक कुमार, काशीपुर पोस्ट लालपुर नौडीहा, मरिहान, मिर्ज़ापुर, मड़िहान, उत्तर प्रदेश, 231310
Address:
D/O: Ashok Kumar, kashopur post Lalpur Naudiha, Marihan, Mirzapur, Marihan, Uttar Pradesh, 231310
4186 3580 1108
1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

Chandra kant Singh

Jyoti

Deeplata

आवेदन सं०: 202001002002999

न्यास पत्र

बही सं०: 4	रजिस्ट्रेशन सं०: 15	वर्ष: 2020

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 1010 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 620

श्री चन्द्रकान्त सिंह , chandra kant singh
पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: काशीपुर पो० लालपुर नौडिहा मडिहान मीरजापुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 19/08/2020 एवं 01:50:16 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

त्रिभुवन नाथ (प्रभारी)
उप निबंधक :मड़िहान
मिर्जापुर
19/08/2020

श्री निवास
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 244739

[20]'

1. साक्षी_नाम – मनीष कुमार सिंह पुत्र राम नरायन सिंह ,
आ0नं0 3486 7528 2742 मो0नं0 : 9452539315
पता – ग्रा0– रैकरा, पो0– बधौड़ा जनपद–मीरजापुर।

Ajay Kumar Bharti Adv
Mariban Mirzapur

Deeplata

Jyoti

Chandra Kant Singh

आवेदन सं०: 202001012002999

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 15 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री चन्द्रकान्त सिंह, पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह

निवासी: काशोपुर पो0 लालपुर नौडिहा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य chandra kant Singh

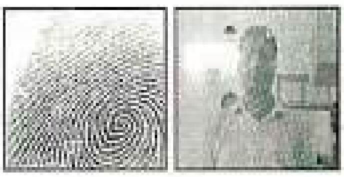

न्यासी: 2

श्रीमती दीपलता सिंह, पत्नी श्री बालेश्वर सिंह

निवासी: पचोखरा पो0 लालपुर नौडिहा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य Deeplata

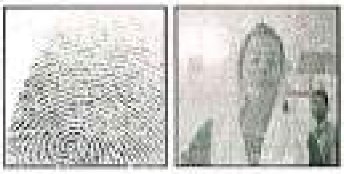

न्यासी: 3

कुमारी ज्योति, पुत्री श्री अशोक कुमार सिंह

निवासी: काशोपुर पो0 लालपुर नौडिहा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य Jyoti

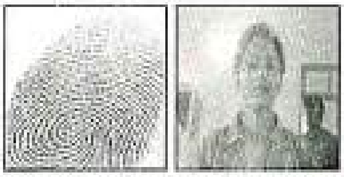

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मनीष कुमार सिंह , पुत्र श्री राम नारायण सिंह

निवासी: रैकरा पो0 बघोडा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

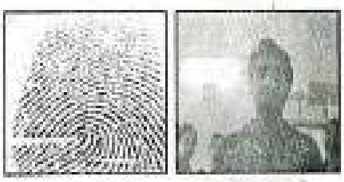

पहचानकर्ता : 2

श्री अनिल कुमार , पुत्र श्री श्याम नारायण सिंह

[illegible] तुपुरा मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य Anil kumar

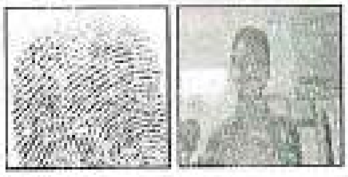

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत: भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी : Ajay Kumar Bharti Adv

त्रिभुवन नाथ (प्रभारी)
उप निबंधक : मडिहान
मिर्जापुर

श्री निवास .
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AD 397549

[21],

2. साक्षी नाम – अनिल कुमार पुत्र श्याम नरायन सिंह
आ0नं0 8212 5046 4562 मो0नं0 : 9559180033।
पता – ग्रा0–विशुनपुर पो0– देवपुरा, जनपद–मीरजापुर।

Anil Kumar

Ajay Kumar Bharti Adv
Marihan, Mirzapur

भारत सरकार
Government of India
अनिल कुमार
Anil Kumar
जन्म तिथि / DOB : 09/07/1990
पुरुष / Male
8212 5046 4562
आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India
पता:
आत्मजः श्याम नरायन, स्थान: विशुनपुरा, गांव/नगर/शहर: देवपुरा, जिला: मिर्जापुर, पोस्ट ऑफिस: देवपुरा, राज्य: उत्तर प्रदेश, पिन कोड: 231001
Address:
S/O: Shyam Narayan, Area/Locality/Sector: vishunpura, Village/Town/City: Devpura, District: Mirzapur, P.O.: Devpura, State: Uttar Pradesh, PinCode: 231001
8212 5046 4562
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

Jyoti

chandra kant Singh

Deepika

2171

आवेदन सं०: 202001002002999

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 9 के पृष्ठ 201 से 242 तक क्रमांक 15 पर दिनाँक 19/08/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

त्रिभुवन नाथ (प्रभारी)
उप निबंधक : मड़िहान
मिर्जापुर
19/08/2020